

तापमान	भोपाल	26.0°	39.0°
	इंदौर	26.0°	39.0°
	जबलपुर	25.0°	39.0°
	ग्वालियर	27.0°	42.0°
	सागर	27.0°	40.0°

www.naiduniaonline.com

भोपाल संस्करण

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... वैश्विक बौद्ध संबंधों को नई मजबूती

स्टेल... स्टोक्स को दूसरे टेस्ट के लिए कप्तानी के साथ ही टीम से ...

व्यापार... सर्राफा बाजार में बड़ी गिरावट, सोना और चांदी...


देश-विदेश... चीन में लोकप्रिय कुत्ते की हत्या के बाद फैला...

नारी शक्ति का वंदन



32+ करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते खुले
3+ करोड़ महिलाएं बनीं लखपति दीदी
₹16+ लाख करोड़ के मुद्रा लोन महिलाओं को, उद्यमिता को मिला बल

12 विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के



खास-खबरें

जिम संचालक की गोली मारकर हत्या

नाइडुनिया ब्यूरो, हॉन्गी: हरियाणा के हॉन्गी में गुरुवार सुबह जिम संचालक कपिल देव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए हमलावर ने करीब पांच सेकेंड में ताबड़तोड़ दस गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब कपिल जिम में युवाओं को अभ्यास करवा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर मुंह ढके हुए दिखाई दिया। फायरिंग में एक युवती भी घायल हो गई। मृतक की शादी एक वर्ष पहले हुई थी और पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार मृतक को पहले धमकी मिलने की जानकारी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

श्रीराम मंदिर चढ़ावे में अनियमितताओं के आरोप

नाइडुनिया ब्यूरो, अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे में कथित करोड़ों रुपये की चोरी के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। स्वयं को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े लेनदेन में अनियमितताएं हुईं और उन्होंने इस संबंध में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें तब से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने यह भी दावा किया कि मंदिर परिसर के कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाए गए और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड पारदर्शी नहीं रखा गया। इस मामले पर राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर प्रतिक्रिया तेज हो गई है।

डॉ. शिवांशी मिसेज इंडिया के टॉप-10 में

नाइडुनिया ब्यूरो, अमृतसर: अमृतसर के गुरु नानक देव



अस्पताल में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवांशी सचदेवा ने मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के शीर्ष दस में स्थान प्राप्त किया है। एक ओर वे ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की सेवा और सर्जरी की जिम्मेदारी निभाती हैं, वहीं दूसरी ओर रंग वॉक और सोल्यूट प्रतियोगिता में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर शिवांशी ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए वर्षों की मेहनत और सपने का परिणाम है। उन्होंने बताया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण यह सफलता संभव हुई। उन्होंने अपने पति को भी इस सफर में महत्वपूर्ण सहयोगी और प्रेरणा स्रोत बताया। उनकी इस उपलब्धि को समाज में महिलाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

लॉरेंस गैंग ने की गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग

नाइडुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक जिम के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह जिम राजौरी गार्डन के दो कारोबारियों का बताया जा रहा है और इसका ब्रांड एंबेसडर पंजाबी गायक गुरु रंधावा हैं। घटना में हमलावरों ने करीब सात राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के नाम से पोस्ट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में दावा किया गया कि यह कार्रवाई सलमान खान से नजदीकी के



चलते की गई है। इसके साथ ही धमकी भरे संदेश भी सामने आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जबरन वसूली, गैंगवार और आपसी रंजिश समेत कई एंगल से जांच शुरू कर दी है।

रिटनिंग आफिसर ने निर्विरोध निर्वाचन के प्रमाण पत्र दिए रास की तीनों सीटें भाजपा के खाते में



का जोर लगा लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि रिटनिंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को गलत,

मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से निरस्त किया गया। पार्टी ने इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बुधवार-गुरुवार रात 1: 48 बजे ऑनलाइन याचिका दाखिल की थी और अदालत से मांग की थी कि जब तक विवाद का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक परिणाम घोषित न किए जाएं। सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल सुनवाई की मांग उठाई, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जवाब के लिए समय आवश्यक है। इसके बाद न्यायालय ने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध कर दिया।

नाम वापसी का समय बीतते ही उम्मीदवारों के निर्वाचन की घोषणा

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कांग्रेस ने लगाया 'ऐड़ी-चोटी' का जोर

नाइडुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मप्र की तीनों राज्यसभा सीटें भाजपा के खाते में आ गई हैं। गुरुवार को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही दोपहर 3 बजे रिटनिंग आफिसर ने रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी कर दिए। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ 'ऐड़ी-चोटी'

न्याय में देरी क्यों: सिंघार

उधर, कांग्रेस नेताओं ने इस घटनाक्रम पर आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अन्य राज्यों में आयोग द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है और देरी से न्याय प्रभावित हो रहा है। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है और मप्र के विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय भी मांगा है। पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

राज्यसभा के 26 में से 23 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

नई दिल्ली: 12 राज्य की 26 राज्यसभा सीटों पर 23 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर उपचुनाव थे। जीतने वालों में 12 भाजपा, 5 कांग्रेस, 3 टीडीपी, 1 एनसीपी, 1 एनपीपी और 1 जनसेना से हैं। चुनाव जीतने वालों में कर्नाटक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेंडा का नाम शामिल है। इन 23 सीटों में से भाजपा को 2 सीटों का फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हुईं थीं, इनमें 2 भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। वहीं, गुजरात में 4 सीटें खाली हुईं थीं। इनमें 3 भाजपा और 1 कांग्रेस के पास थी। अब दोनों राज्यों की 7 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी।



'विकसित भारत 2047': समावेशी मानव विकास पर विशेष जोर

नीति आयोग बैठक में सीएम विजय ने नीट का किया विरोध, 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश की मांग

नाइडुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग परिषद की ग्यारहवीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रों तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में देश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समावेशी मानव विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसमें रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण,

शिक्षा, समान अवसर और डिजिटल प्रशासन जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। राज्यों के विकास विजन को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लागू होने के बाद ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि तमिलनाडु में राज्य कोटे की चिकित्सा शिक्षा सीटों में प्रवेश बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाए, जिसमें चिकित्सा स्नातक, दंत चिकित्सा और आयुष पाठ्यक्रम शामिल हों। नीति आयोग की बैठक में

प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ समूह फोटो भी खिंचवाई। बैठक के बाद कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अलाप से भी मिले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक प्रतिमा भेंट की। इस बैठक में पहली बार कई नए मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री प्रमुख रहे। विभिन्न

राज्यों के बीच सहयोग और नीति समन्वय को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। नीति आयोग ने बताया कि इस वर्ष बैठक का थीम विकसित भारत दो हजार सैतालीस के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसमें विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर

जोर दिया गया। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत को वर्ष दो हजार सैतालीस तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानव संसाधन विकास को मजबूत करना आवश्यक है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीति आयोग को इस बैठक को देश के विकास रोडमैप के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

आयरलैंड और ब्रिटेन में प्रवासी विरोधी दंगे भड़के

नाइडुनिया ब्यूरो, लंदन: आयरलैंड और ब्रिटेन में प्रवासी विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। बेलफास्ट में एक आयरिश नागरिक पर हमले और सिर काटने के प्रयास की घटना के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बड़े दंगों में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। नकावपोश भीड़ ने घरों, दुकानों, बसों और कारों को निशाना बनाया। बेलफास्ट के न्यूटाउनाईस रोड पर कई वाहन जला दिए गए।

के लागू होने के बाद ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि तमिलनाडु में राज्य कोटे की चिकित्सा शिक्षा सीटों में प्रवेश बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाए, जिसमें चिकित्सा स्नातक, दंत चिकित्सा और आयुष पाठ्यक्रम शामिल हों। नीति आयोग की बैठक में

तृणमूल के 4 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ा पद

नाइडुनिया ब्यूरो, कोलकाता/नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक असंतोष गहराता जा रहा है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक और कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले चार दिनों में तेरह में से चार राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग हो चुके हैं, जिससे संगठन में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले आठ जून को

सुखेंद्र शेखर ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया था, जबकि दस जून को सुभिता देव ने भी त्यागपत्र दे दिया था। इधर पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने भी नेतृत्व को गंभीर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को तय करना होगा कि वे उनके साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्य पर निर्भर बताना विडम्बना है, क्योंकि वास्तव में पूरा परिवार उसके श्रम और देखभाल पर निर्भर रहता है। बच्चों के संस्कार, शिक्षा, अनुशासन और परिवार की सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में गृहिणी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। फैसला एक सड़क दुर्घटना मामले में आया, जिसमें वर्ष 2001 में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। पहले परिवार को लगभग 8 लाख का मुआवजा मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 'घरेलू देखभाल की क्षति' को नया आधार मानते हुए कुल मुआवजा बढ़ाकर 62.77 लाख कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि भारत में महिलाओं का अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य देश की जीडीपी में अनुमानित 15 से 17 प्रतिशत तक योगदान देता है, फिर भी इसे आर्थिक व्यवस्था में उचित पहचान नहीं मिलती। यही कारण है कि गृहिणियों के निधन पर मिलने वाला मुआवजा उनके वास्तविक योगदान की तुलना में बेहद कम रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों को मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि ऐसे मामलों में वर्षों की देरी पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय है। यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उस अनगिनत मेहनत, त्याग और समर्पण का सम्मान है जो हर गृहिणी बिना किसी वेंतन, छुट्टी या पदनाम के अपने परिवार और समाज के लिए करती है। सर्वोच्च अदालत का यह संदेश साफ है— गृहिणी सिर्फ घर की धुरी नहीं, बल्कि देश के भविष्य की निर्माता है।

मृत्यांकन गृहिणी के काम की कीमत 30 हजार रुपए महीना, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला... घर संभालने वाली नहीं, राष्ट्र निर्माता है गृहिणी: सुप्रीम कोर्ट

नाइडुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: नई दिल्ली। वर्षों से घर की चारदीवारी में परिवार को संभालने वाली गृहिणियों के योगदान को अक्सर 'बिना वेंतन का काम' मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को नई ऊंचाई दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणी केवल घर नहीं संभालती, बल्कि वह 'राष्ट्र निर्माता' होती है और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाले मुआवजे में उसके घरेलू योगदान का अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गृहिणी की घरेलू देखभाल का मूल्य कम से कम 30 हजार प्रतिमाह माना जाएगा। यह राशि पहले से तय अन्य मुआवजों के अतिरिक्त होगी और हर तीन वर्ष में इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की जाएगी।



अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्य पर निर्भर बताना विडम्बना है, क्योंकि वास्तव में पूरा परिवार उसके श्रम और देखभाल पर निर्भर रहता है। बच्चों के संस्कार, शिक्षा, अनुशासन और परिवार की सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में गृहिणी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। फैसला एक सड़क दुर्घटना मामले में आया, जिसमें वर्ष 2001 में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। पहले परिवार को लगभग 8 लाख का मुआवजा मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 'घरेलू देखभाल की क्षति' को नया आधार मानते हुए कुल मुआवजा बढ़ाकर 62.77 लाख कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि भारत में महिलाओं का अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य देश की जीडीपी में अनुमानित 15 से 17 प्रतिशत तक योगदान देता है, फिर भी इसे आर्थिक व्यवस्था में उचित पहचान नहीं मिलती। यही कारण है कि गृहिणियों के निधन पर मिलने वाला मुआवजा उनके वास्तविक योगदान की तुलना में बेहद कम रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों को मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि ऐसे मामलों में वर्षों की देरी पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय है। यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उस अनगिनत मेहनत, त्याग और समर्पण का सम्मान है जो हर गृहिणी बिना किसी वेंतन, छुट्टी या पदनाम के अपने परिवार और समाज के लिए करती है। सर्वोच्च अदालत का यह संदेश साफ है— गृहिणी सिर्फ घर की धुरी नहीं, बल्कि देश के भविष्य की निर्माता है।

गृहिणी परिवार की मजबूत नींव

अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्य पर निर्भर बताना विडम्बना है, क्योंकि वास्तव में पूरा परिवार उसके श्रम और देखभाल पर निर्भर रहता है। बच्चों के संस्कार, शिक्षा, अनुशासन और परिवार की सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में गृहिणी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। फैसला एक सड़क दुर्घटना मामले में आया, जिसमें वर्ष 2001 में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। पहले परिवार को लगभग 8 लाख का मुआवजा मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 'घरेलू देखभाल की क्षति' को नया आधार मानते हुए कुल मुआवजा बढ़ाकर 62.77 लाख कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि भारत में महिलाओं का अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य देश की जीडीपी में अनुमानित 15 से 17 प्रतिशत तक योगदान देता है, फिर भी इसे आर्थिक व्यवस्था में उचित पहचान नहीं मिलती। यही कारण है कि गृहिणियों के निधन पर मिलने वाला मुआवजा उनके वास्तविक योगदान की तुलना में बेहद कम रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों को मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि ऐसे मामलों में वर्षों की देरी पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय है। यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उस अनगिनत मेहनत, त्याग और समर्पण का सम्मान है जो हर गृहिणी बिना किसी वेंतन, छुट्टी या पदनाम के अपने परिवार और समाज के लिए करती है। सर्वोच्च अदालत का यह संदेश साफ है— गृहिणी सिर्फ घर की धुरी नहीं, बल्कि देश के भविष्य की निर्माता है।

